# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
## राजस्व वादपत्र संख्याः– 38/2023

1. जगदीश पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

.....वादी

**बनाम**

1. रामेश्वरी पुत्री नन्दराम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया हाल जंडवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री कैलाश टाक अधिवक्ता प्रतिवादिया की ओर से

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट व 136 एलआरएक्ट**

**–: निर्णय :– दिनांक :– 10.04.2023**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. व 136 एलआरएक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता नन्दलाल उर्फ नन्दराम पुत्र लाभूराम उर्फ नत्थूराम की कृषि भूमि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के गांव मोटासर में चल व अचल सम्पति थी। जिसके मुआवजे में वादी के पिता को तहसील खाजूवाला के चक 8 केजेडी ए के मु0नं0 82/59 के किला नं0 4 ता 7, 13, 14 तथा मु0नं0 102/03 के किला नं0 1 ता 3, 9, 10 की कुल 2.2510 है0 भूमि आवंटित होकर वर्तमान जमाबन्दी में रिकॉर्ड दर्ज है तथा उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल वादी व प्रतिवादिया के बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज होना विधिवत है। जिसके वादी व प्रतिवादिया विधिक रूप से अधिकारी है। वादी नन्दलाल उर्फ नन्दराम का दत्तक पुत्र है तथा प्रतिवादिया उसकी जैविक पुत्री है तथा नन्दलाल उर्फ नन्दराम की अन्य समस्त सम्पतियों में वादी व प्रतिवादिया का बराबर के हकदार रहे है तथा इसी अनुसार बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज रिकॉर्ड भी हुई है परन्तु प्रतिवादिया उक्त भूमि जो वादी के पिता को बएवज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापितों के तौर पर आवंटन होकर खातेदारी दर्ज हुई है जो कि परिवार की पैतृक सम्पति है। जिसको प्रतिवादिया बाला–बाला एकेले अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने की फिराक में है जबकि उसे एकेले ऐसे दर्ज करवाने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए वादी व प्रतिवादिया के बहिस्सा बराबर–बराबर उक्त भूमि दर्ज करवाई जानी न्यायहित में आवश्यक है। वादी नन्दलाल उर्फ नन्दराम पुत्र लाभूराम उर्फ नत्थूराम के रिकॉर्ड में नाम जो सहवन से नन्दलाल पुत्र लाभूराम दर्ज हो गया है को दुरुस्त करवाने का भी अधिकारी है क्योंकि नन्दराम व उसके पिता नत्थूराम अनपढ़ थे तथा रेवेन्यु रिकॉर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए पूर्व में गांव मोटासर की भूमि जो जिस नाम से दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी के अनुसार ही यह भूमि आवंटन करते समय सहवन से नाम अपभ्रंश हो गया है जिसे दुरुस्त करवाने का वादी विधिक अधिकारी है। वादी अब पटवारी हल्का से मिला तो जानकारी में आया कि प्रतिवादिया वादगत भूमि एकेले नाम दर्ज करवाने हेतु प्रयासरत है तथा दिनांक 22.02.2023 को वादी उक्त भूमि की देखभाल हेतु गया तो वहां प्रतिवादिया ने धमकी दी कि वह एकेले ही उक्त भूमि की मालिक है तथा वादी को बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दी तो वादी को वाद

हैतुक प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकने हेतु तथा वाद बहुलता बढ़ने से रोकने के लिए चिरस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जानी अतिआवश्यक है कि प्रतिवादिया वादी को वादगत भूमि से बेदखल आधा हिस्सा से नहीं करें, ना ही कोई ऐसा कृत्य करें या करावें जिससे वादी के हितों पर विपरीत असर पड़े। उक्त से बचने का एकमात्र उपाय चिरनिषेधाज्ञा ही है जो अति आवश्यक है। वादगत भूमि तो तहसील खाजूवाला के चक 8 केजेडी ए मु0नं0 82/59 के किला नं0 4 ता 7, 13, 14 तथा मुरब्बा नं0 102/3 के किला नं0 1 ता 3, 9, 10 कुल 2.2510 हैक्टर है जो वादी के पिता नन्दराम पुत्र नत्थूराम की एमएमएफआर विस्थापित के तौर पर आवंटन हुई है का नाम नन्दलाल पुत्र लाभूराम की जगह नाम दुरुस्त घोषित कर भूमि वादी व प्रतिवादिया के संयुक्त बहिस्सा बराबर–बराबर विरासतन दर्ज करने के घोषणा की जावे। एवं इस आश्य की चिरनिषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादगत भूमि में प्रतिवादिया, वादी को संयुक्त बहिस्सा बराबर–बराबर से बेदखल नहीं करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें या करावे जिससे वादी के हितो पर विपरीत असर पड़े एवं अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादी के पक्ष में प्रदान करें।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादिया को नोटिस जारी होने पर प्रतिवादिया मय अधिवक्ता उपस्थित आकर दिनांक 27.03.23 अर्जेन्ट सुनवाई के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रतिवादी ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया जिसके अतिरिक्त कथन अनुसार प्रार्थीया व वादी उक्त वादगत भूमि बहिस्सा बराबर जरिये वारिस प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है तथा वादी व प्रतिवादिया के पूर्वज (अग्रज) नन्दराम वल्द नत्थूराम कुम्हार को ग्राम मोटासर तहसील लूनकरनसर की कृषि भूमि खसरा नं0 841/398 की 50.00 बीघा थी जो एमएमएफआर रेंज में आ जाने से बतौर मुआवजा वादगत भूमि आवंटन खातेदारी हुई है। उक्त भूमि वादगत नन्दलाल पुत्र लाभूराम के नाम दर्ज है जो कि नन्दराम पुत्र नत्थूराम है जिसे घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादिया के संयुक्त बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जाना अति आवश्यक है तथा चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि उक्त वादगत भूमि से वादी व प्रतिवादिया को कोई अन्य बेदखल नहीं करें ना ही कोई ऐसा कृत्य करें या करावें जिससे वादी व प्रतिवादी के खातेदारी काश्तकारी हितों पर विपरीत असर पड़े। लिहाजा जवाबदावा पेशकर निवेदन है कि वादपत्र स्वीकार कर फैसला फरमावें। प्रतिवादिया सहमति के संबंध में शपथपत्र पेश किया जिसके अनुसार वादगत भूमि मुझ मिकरा के पिता को बतौर एमएमएफआर विस्थापित आवंटन की गई थी। मुझ मिकरा के व वादी के पिता नन्दराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार ही जायज व सही है। वादगत भूमि मुझ मिकरा व मेरे भाई जगदीश पुत्र नन्दराम की ही विरासतन भूमि है जिसके अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है। वादगत भूमि मुझ मिकरा व मेरे भाई (वादी) जगदीश के नाम बहिस्सा बराबर संयुक्त दर्ज कर दी जावे तो मुझ मिकरा को कोई उज्र एतराज नहीं है। अधिवक्ता ने वादपत्र के पक्ष में फॉर्म संख्या 3 के साथ दस्तावेज वारिसान पुष्टि मय सम्पूर्ण रिपोर्ट, आधारकार्ड व परिचयपत्र(निर्वाचन) जगदीश रामेश्वरी, इंतकाल जमाबंदी मोटासर गांव खं0नं0 841/398, गिरदावरी मोटासर खं0नं0 841/398, मोटासर का आवासीय पट्टा आदि की छायाप्रतियां व वादगत भूमि की मूल आवंटन पत्रावली की छायाप्रति व वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत की।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। वादी व प्रतिवादिया अधिवक्ता ने निवेदन है कि पक्षकरों में सहमति बन गई है। लोकअदालत की भावना से फैसला चाहते है। इसलिए वादपत्र व जवाबदावा व शपथपत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जावें एवं वादी व प्रतिवादिया के पिता नन्दराम पुत्र नत्थूराम फौत हो चुके है व माता भी फौत हो चुकी है जिनके मृत्यु प्रमाणपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत है। वादी व प्रतिवादिया के पिता नन्दराम पुत्र नत्थूराम की उक्त वादगत भूमि में सहवन से नाम नन्दलाल पुत्र लाभूराम अंकित है जो कि गलत है। जिसको दुरुस्त किया जाकर उक्त वादगत भूमि नन्दलाल पुत्र लाभूराम की जगह विरासतन वादी व प्रतिवादिया के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें एवं पिता का नाम नन्दलाल पुत्र लाभूराम की जगह नन्दराम पुत्र नत्थूराम दुरुस्त घोषित किया जावें तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जावें।

न्यायालय के विनम्र मत अनुसार वादपत्र के न्याय निर्णय हेतु निम्न प्रश्न तय कर उसका विवेचन विधि व न्यायिक मस्तिष्क अनुसार निर्णित किया जाना सुविधाअनुसार होगा। लिहाजा

1. क्या वादगत भूमि एमएमएफआर विस्थापित के तौर पर आवंटित होकर खातेदारी दर्ज है? जिसके वादी व प्रतिवादी खातेदार के वारिसान है। खातेदार का नाम सहवन से अपभ्रंश हो गया जिसे दुरुस्त किया जा सकता है?
2. यह कि वादी व प्रतिवादी चिरनिषेधाज्ञा के अधिकारी है?

उपरोक्त बिन्दूओं निर्धारण हेतु पत्रावली पर आई साक्ष्य शपथपत्र एवं अधिवक्ता पक्षकारान की बहस अनुसार न्यायालय का मत है कि वादी व प्रतिवादी के पिता नन्दराम पुत्र नत्थूराम के नाम एमएमएफआर क्षेत्र के गांव मोटासर में कृषि भूमि व रिहायशी मकान थे जो विस्थापन के समय अवाप्त कर बतौर मुआवजा वादगत भूमि आवंटित की गई है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति खसरा गिरदावरी जमाबंदी तथा वादगत भूमि की आवंटन पत्रावली की छायाप्रति पत्रावली पर पेश है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर मूल आवंटी का नाम नन्दराम पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार है जो दस्तावेजों व शपथपत्र अनुसार सही है तथा पत्रावली व दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के आवंटन के समय सहवन से नन्दराम पुत्र नत्थूराम की जगह नन्दलाल पुत्र लाभूराम दर्ज हो गया जिसे वादी व प्रतिवादिया दुरुस्त करवाने हेतु सहमत है लिहाजा न्यायालय के मतानुसार वादगत भूमि नन्दलाल पुत्र लाभूराम की बजाय नन्दराम उर्फ नन्दलाल पुत्र नत्थूराम उर्फ लाभूराम जाति कुम्हार दुरुस्त घोषित किया जाना न्यायसंगत है। इसी क्रम में वादी नन्दराम उर्फ नन्दलाल पुत्र नत्थूराम उर्फ लाभूराम का जायज वारिस है जिसके संबंध में वादी ने अपने आधारकार्ड , परियचपत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिनमें वादी के पिता का नाम नन्दराम अंकित है तथा वारिसान पुष्टि रिपोर्ट अनुसार जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत है के अनुसार भी वादी नन्दराम पुत्र नत्थूराम का जायज वारिस है तथा उसी पुष्टि अनुसार प्रतिवादिया भी जायज वारिस है। न्यायालय के मतानुसार वादी व प्रतिवादिया नन्दराम उर्फ नन्दलाल पुत्र नत्थूराम उर्फ लाभूराम जाति कुम्हार के जायज वारिसान है जो वादगत भूमि में जरिये विरासतन हक अधिकार रखते है तथा खातेदार घोषित होने के काबिल है तथा इसप्रकार प्रश्न सं0 2 के अनुसार वादी व प्रतिवादिया वास्तविक खातेदार नन्दराम उर्फ नन्दलाल पुत्र नत्थूराम उर्फ लाभूराम के विधिक वारिसान है इसके अलावा अन्य कोई वारिसान मुताबिक पुष्टि रिपोर्ट नहीं है। वादी व

प्रतिवादी बतौर एमएमएफआर विस्थापित विरासतन बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित होने का हक अधिकार रखते है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र उभयपक्ष व वारिसान पुष्टि तहसीलदार संगरिया के पत्रांक/भू0अ0/वि0व/23/858 दिनांक 21.03.2023 व बहस पर मनन करने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद उपलब्ध दस्तावेजों व वारिसान पुष्टि तहसीलदार संगरिया के पत्रांक/भू0अ0/वि0व/23/858 दिनांक 21.03.2023 रिपोर्ट के आधार पर धारा 88,188 आरटीएक्ट व धरा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादिया के पिता के नाम दर्ज उक्त वादगत भूमि तहसील खाजूवाला के चक 8 केजेडी ए मु0नं0 82/59 के किला नं0 4 ता 7, 13, 14 तथा मुरब्बा नं0 102/3 के किला नं0 1 ता 3, 9, 10 कुल 2.2510 हैक्टर में अंकित नाम नन्दलाल पुत्र लाभूराम की जगह नन्दराम उर्फ नन्दलाल पुत्र नत्थूराम उर्फ लाभूराम दुरुस्त घोषित किया जाता है तथा उक्त वादी एवं प्रतिवादिया के पिता(नन्दराम उर्फ नन्दलाल पुत्र नत्थूराम उर्फ लाभूराम) फौत होने के कारण उनके जायज वारिसान (मुताबिक पुष्टि रिपोर्ट तहसीलदार संगरिया के पत्रांक/भू0अ0/वि0व/23/858 दिनांक 21.03.2023) के उक्त वादगत भूमि तहसील खाजूवाला के चक 8 केजेडी ए मु0नं0 82/59 के किला नं0 4 ता 7, 13, 14 तथा मुरब्बा नं0 102/3 के किला नं0 1 ता 3, 9, 10 कुल 2.2510 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादिया को बहिस्सा बराबर–बराबर विरासतन खातेदार दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम)
(आर.ए.एस.)
**उपखण्ड अधिकारी,**
**(खाजूवाला)**